



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082022-237995
CG-DL-E-08082022-237995

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3555]
No. 3555]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2022/श्रावण 17, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2022/SHRAVANA 17, 1944

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2022

का.आ. 3722(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा(1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए मैसर्स कर्नाटक राज्य खनिज निगम लिमिटेड [केएसएमसीएल] को अधिसूचित करती है:

परंतु मैसर्स कर्नाटक राज्य खनिज निगम लिमिटेड [केएसएमसीएल] अपने द्वारा की गई पूर्वोक्त संक्रियाओं के संबंध में अपने द्वारा तैयार किया गया डाटा संबंधित राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं.एम. VI-16/30/2017-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2022

S.O. 3722(E).—In pursuance of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the M/s Karnataka State Minerals Corporation Limited [KSMCL] for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act:

Provided that the M/s Karnataka State Minerals Corporation Limited [KSMCL] shall make available the data generated by it, in respect of the prospecting operations undertaken by it, to the concerned State Government.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M.VI-16/30/2017-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.